

## कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक 26 / सी / क्रय-सुर0 / 2009-10

दिनांक लखनऊ नवम्बर 02, 2009

### आदेश

एसबीईसी भुगर लिमिटेड, लोयन मलकपुर जनपद बागपत परिक्षेत्र मेरठ की पेराई सत्र 2009-10 हेतु प्रस्तुत मांग पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-1244/सी/क्रय/ग0आ0/ 2009-10 दिनांक 16-9-2009 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्यक परीक्षणोपरान्त, विज्ञप्ति संख्या-1245/सी क्रय/ग0आ0 2009-10 दिनांक 16-09-2009 द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-12(2) के अन्तर्गत गन्ने की आवश्यकता का अनुमान 99.65 ला0कु0 विज्ञापित किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञाप में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "आवश्यकता का निर्धारण उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-15 के अन्तर्गत उददेश्य की पूर्ति हेतु चीनी मिल क्षेत्रवार हुए गन्ना उत्पादन/उपलब्धता से आच्छादित रहेगा"।

गत वर्ष एसबीईसी भुगर लिमिटेड, लोयन मलकपुर जनपद बागपत परिक्षेत्र मेरठ ने दिनांक 17-11-2008 को पेराई कार्य प्रारम्भ कर दिनांक 26-03-2009 को पेराई सत्र का समापन किया। इस प्रकार चीनी मिल ने 125 कार्य दिवसों में अपने सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में उपलब्ध 171.23 ला0कु0 गन्ना उत्पादन में से लगभग 48.93 प्रतिशत झाल करते हुए 83.79 ला0कु0 गन्ने की पेराई की।

कृषकों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाने एवं गन्ने की अधिक से अधिक खपत चीनी उत्पादन में करने हेतु यह अनिवार्य है कि चीनी मिलें अपने आबंटित क्षेत्र से अधिकतम गन्ने की खरीद/पेराई करें एवं ऐसी प्रबन्धकीय एवं तकनीकी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें, जिससे गन्ना उत्पादन एवं उपलब्धता में पर्याप्त सामंजस्य बना रहे।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-15 के प्राविधानों के अनुपालन में दिनांक 08-09-2009 को गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ में मेरठ परिक्षेत्र की सहकारी गन्ना विकास समितियों, गन्ना कृषकों एवं चीनी मिलों का पक्ष पेराई सत्र 2009-10 में गन्ना क्षेत्र आबंटन एवं गन्ना आपूर्ति के सम्बन्ध में सुनवाई की गई।

विगत वर्षों में चीनी मिल द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान में विलम्ब तथा गन्ना विकास कार्यों में अरुचि के कारण गत वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष गन्ना क्षेत्रफल में गिरावट आई है। इस चीनी मिल की गत वर्ष सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में गन्ना उत्पादन में 14 प्रतिशत कमी होना सम्भावित है।

चीनी मिल क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, यातायात की सुविधा, गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति, गन्ना समितियों/कृषकों द्वारा दिये गये प्रस्ताव, गत वर्ष आबंटित क्षेत्र में गन्ना क्षेत्रफल तथा क्षेत्र में गन्ना व्यावर्तन की स्थिति आदि कारकों पर विचार किया गया। चीनी मिल क्षेत्र

में गन्ना उत्पादन एवं उपलब्धता को देखते हुए इस चीनी मिल को अधिकतम 141.16 ला0कु0 गन्ना उत्पादन का आबंटन किया जा सकता है।

इस चीनी मिल के जनपद-बागपत में गन्ने की औसत उपज 651.16 कु0 प्रति हेक्टेयर है, जो कि पेराई सत्र 2008-09 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराये गये कॉप कटिंग के परिणामों पर आधारित है तथा सभी सम्बन्धित को इस कार्यालय के पत्र संख्या-950/सी/कय/ग0आ0 दिनांक 12-06-2009 द्वारा संसूचित की गई है, जिसके आधार पर 141.16 ला0कु0 गन्ना उत्पादन की प्रतिपूर्ति कुल 21677 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल से होना सम्भावित है।

अतः सम्बन्धित चीनी मिलों, गन्ना समितियों/गन्ना कृषकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं पक्ष सुनने, चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना उत्पादन/उपलब्धता एवं अन्य सुसंगत बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए मैं, सुधीर एम.बोबडे, गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-15, उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली-1954 के नियम-22 एवं शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर-1966 की उपधारा-6 (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए समस्त पूर्व आदेशों का अतिक्रमण करते हुए संलग्न तालिका के खण्ड-1(क) एवं 1 (ख) में अंकित कयकेन्द्रों को गन्ना पूर्ति हेतु पेराई सत्र 2009-10 के लिए एसबीईसी भुगर लिमिटेड, लोयन मलकपुर जनपद बागपत परिक्षेत्र मेरठ को सुरक्षित/अभ्यर्पित करता हूँ तथा खण्ड-2 में इंगित कयकेन्द्र को उसके नाम के सम्मुख अंकित निकटवर्ती चीनी मिल, दौराला एवं किनौनी को अभ्यर्पित करता हूँ तथा आबंटी चीनी मिलों के अध्यासियों को आदेशित करता हूँ कि गन्ना सुरक्षण आदेश प्रसारित होने के 14 दिन के अन्दर सम्बन्धित गन्ना समिति एवं चीनी मिल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद) आदेश-1954 के उपबन्ध-3(3) एवं 4 (1) में निर्धारित प्रारूप-स पर अनुबन्ध अनिवार्य रूप से करें तथा चीनी मिल चलने के साथ ही समस्त कयकेन्द्रों का संचालन एवं समानुपातिक गन्ना खरीद सुनिश्चित करें।

उक्त चीनी मिल के अध्यासी को उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-15 (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देशित करता हूँ कि गन्ना पेराई सत्र समापन के लिए अपने सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में उपलब्ध समस्त गन्ने की पेराई का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समितियों, जिला गन्ना अधिकारियों तथा क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त से प्राप्त कर इस कार्यालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही पेराई सत्र का समापन करें।

उपर्युक्त आदेश पेराई सत्र 2009-10 के लिए जारी किये जा रहे हैं। यह तब तक वैध रहेंगे, जब तक इस सम्बन्ध में नये आदेश या संशोधन प्रसारित न किये जायें।

( सुधीर एम. बोबडे )

गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

## टिप्पणी

- 1- इस वर्ष जिन नये क्यकेन्द्रों की स्थापना के आदेश दिये जा रहे हैं, उन क्यकेन्द्रों के स्थान का चयन सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी द्वारा गन्ना किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, चीनी मिल एवं गन्ना समितियों की राय से किया जायेगा तथा क्यकेन्द्रों से सम्बद्ध होने वाले ग्रामों की सूची भी बनाकर सर्व सम्बन्धित को सूचित करेंगे। जिला गन्ना अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित कराया जाये कि एक कृषक के गन्ने की आपूर्ति एक क्यकेन्द्र पर अथवा केन्द्र के एक ही भाग पर सुनिश्चित कराई जाये, एक से अधिक क्यकेन्द्र/केन्द्र के भाग पर आपूर्ति की सुविधा न दी जाये।
- 2- चीनी मिलों एवं गन्ना समितियों तथा किसानों की ओर से कुछ क्यकेन्द्रों के स्थान परिवर्तन करके उसी राजस्व ग्राम से दूसरे स्थान पर लगाने तथा कुछ क्यकेन्द्रों के ग्रामों को उसी चीनी मिल के पूर्ववर्ती क्यकेन्द्रों से हटाकर दूसरे क्यकेन्द्रों पर सम्बद्ध किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए/होते हैं। ऐसे प्राप्त प्रस्तावों पर जिला गन्ना अधिकारी सम्बन्धित चीनी मिल एवं गन्ना समिति की राय प्राप्त कर अपनी संस्तुति इस कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित करेंगे।
- 3- यदि पेराई सत्र 2009-10 में चीनी मिल द्वारा सन्तोषजनक मात्रा में पेराई न कर पाने के कारण या चीनी मिल बन्द हो जाने के कारण गन्ने का व्यावर्तन किया जाना अपरिहार्य प्रतीत होता है, तो व्यावर्तित गन्ने की ढुलाई व्यय उसी चीनी मिल को देना होगा, जिसे क्यकेन्द्र मूलरूप में आबंटित हुआ था।
- 4- गन्ना सुरक्षण आदेश प्रसारित होने के 14 दिन के अन्दर सम्बन्धित गन्ना समिति एवं चीनी मिल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद) आदेश-1954 के उपबन्ध-3(3) एवं 4 (1) में निर्धारित प्रारूप-स पर अनुबन्ध अनिवार्य रूप से किया जायेगा, जो चीनी मिलें निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नहीं करेंगे उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- चीनी मिलों द्वारा उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-17 एवं 18 तथा उ0प्र0 शुगर केन कन्ट्रोल ऑर्डर-1966 के खण्ड-3(3) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अविध में गन्ना मूल्य एवं विकास कमीशन का भुगतान सुनिश्चित करें। अन्यथा बाध्य होकर चीनी मिलों को आबंटित गन्ना क्षेत्र को व्यावर्तित करने पर विचार किया जायेगा।

( सुधीर एम. बोबडे )  
गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश,

पत्रांक 26 / सी / क्रय-सुर0 / 2009-10  
2009

दिनांक लखनऊ नवम्बर 02

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
- 2- सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को इस आशय से प्रेषित कि वह उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली-1954 के नियम-23 के अनुसार उक्त आदेशों को प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 3- निदेशक, बांट एवं माप, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश सर्व सम्बन्धित को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 5- सम्बन्धित उप चीनी आयुक्त।
- 6- सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे क्रयकेन्द्रों के चलने की स्थिति के समबन्ध में सूचना अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त को चीनी मिल चलने के 15 दिनों के अर्न्तगत अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायें।
- 7- सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्तों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे क्रयकेन्द्रों के चलने की स्थिति पर स्वयं भी निगरानी रखेंगे तथा यथा निर्दिष्ट समय के अर्न्तगत क्रयकेन्द्र न चलाये जाने पर चीनी मिल के विरुद्ध समुचित कार्यवाही कराते हुए, अनुपालन की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें।
- 8- सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समितियाँ।
- 9- अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक, सम्बन्धित चीनी मिलें।

( डा0 कृपाल सिंह )

उप गन्ना आयुक्त (क्रय)

कृते गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

सुरक्षण आदेश संख्या /सी/कय-सुर0 दिनांक लखनऊ अक्टूबर ,2009 (पृष्ठ संख्या-1)  
 एस.बी.ई.सी. शुगर लि0, लोयन मलकपुर जनपद बागपत परिक्षेत्र मेरठ ।

**खण्ड - 1 (क) पेराई सत्र 2009-10**

क्रम संख्या	नाम गन्ना समिति	नाम कय केन्द्र	चीनी मिल से दूरी (किमी0)	गन्ना क्षेत्रफल (हेक्टे0)	गन्ना उत्पादन (ला0कु0)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मलकपुर	मिलगेट	0	7445	48.48	सुरक्षित	
2		जिवाना / जिवानी प्रथम	9	177	1.15	सुरक्षित	
3		जिवाना / जिवानी-द्वितीय	9	75	0.49	सुरक्षित	
4		छपरौली-प्रथम	12	322	2.10	सुरक्षित	
5		छपरौली-द्वितीय	15	233	1.52	सुरक्षित	
6		छपरौली-तृतीय	15	215	1.40	सुरक्षित	
7		छपरौली-चतुर्थ	16	215	1.40	सुरक्षित	
8		तिलवाडा	16	125	0.81	सुरक्षित	
9		रठौडा	17	538	3.50	सुरक्षित	
10		कोताना प्रथम	16	372	2.42	सुरक्षित	
11		कोताना-द्वितीय	16	407	2.65	सुरक्षित	
12		फ0 पुटठी-प्रथम	19	51	0.33	सुरक्षित	
13		फ0 पुटठी-द्वितीय	19	48	0.31	सुरक्षित	
14		अंगदपुर जोहड़ी-प्रथम	14	354	2.31	सुरक्षित	
15		राजपुर खामपुर-प्रथम	20	169	1.10	सुरक्षित	
16		राजपुर खामपुर-द्वितीय	22	170	1.11	सुरक्षित	
17		कुर्डी-प्रथम	17	140	0.91	सुरक्षित	
18		कुर्डी-द्वितीय	17	140	0.91	सुरक्षित	
19		कुर्डी-तृतीय	18	140	0.91	सुरक्षित	
20		कुर्डी-चतुर्थ	16	141	0.92	सुरक्षित	
21		बिजरौल-तृतीय	14	172	1.12	सुरक्षित	
22		गूंगाखेड़ी / बिजरौल	13	231	1.50	सुरक्षित	
23		बिजरौल चतुर्थ / आचार्य खेड़ी	18	235	1.53	सुरक्षित	
24		बामनौली-प्रथम	17	135	0.88	सुरक्षित	
25		बामनौली-तृतीय	18	134	0.87	सुरक्षित	
		<b>योग</b>		<b>12384</b>	<b>80.6396544</b>		

सुरक्षण आदेश संख्या /सी/कय-सुर० दिनांक लखनऊ अक्टूबर ,2009 (पृष्ठ संख्या-2)

एस.बी.ई.सी. शुगर लि०, लोयन मलकपुर जनपद बागपत परिक्षेत्र मेरठ ।

खण्ड - 1 (क) पेराई सत्र 2009-10

क्रम संख्या	नाम गन्ना समिति	नाम कय केन्द्र	चीनी मिल से दूरी (किमी०)	गन्ना क्षेत्रफल (हेक्टे०)	गन्ना उत्पादन (ला०कु०)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
26	मलकपुर	बामनौली-पंचम	18	133	0.87	सुरक्षित	
27		लुहारी-प्रथम	13	432	2.81	सुरक्षित	
28		लुहारी-द्वितीय	15	344	2.24	सुरक्षित	
29		लुहारी-तृतीय	14	343	2.23	सुरक्षित	
30		बिजवाड़ा-तृतीय	18	79	0.51	सुरक्षित	
31		हिलवाड़ी-द्वितीय	14	226	1.47	सुरक्षित	
32		काकोर कलां-प्रथम	26	107	0.70	सुरक्षित	
33		काकोर कलां-द्वितीय	25	159	1.04	सुरक्षित	
34		काकोर कलां-तृतीय	24	164	1.07	सुरक्षित	
35		कमला कुटी	14	152	0.99	सुरक्षित	
36		कमला कुटी/ गुराना	15	110	0.72	सुरक्षित	
37		मुकन्दपुर-प्रथम	24	186	1.21	सुरक्षित	
38		शबगा-प्रथम	12	450	2.93	सुरक्षित	
39		शबगा-द्वितीय	13	449	2.92	सुरक्षित	
40		सिरसली-तृतीय	19	213	1.39	सुरक्षित	
41		टयोढ़ी	15	263	1.71	सुरक्षित	
42		शाहपुर बढौली	8	309	2.01	सुरक्षित	
43		बदरखा-प्रथम	14	224	1.46	सुरक्षित	
44		बदरखा-द्वितीय	15	111	0.72	सुरक्षित	
45		बड़का	12	263	1.71	सुरक्षित	
46		इदरीशपुर	15	50	0.33	सुरक्षित	
47		लोहडडा बाजीदपुर-प्रथम	12	124	0.81	सुरक्षित	
48		लोहडडाबाजीदपुर-द्वितीय	15	140	0.91	सुरक्षित	
49		लोहडडा	13	143	0.93	सुरक्षित	

		बाजीदपुर-तृतीय					
50		बड़ावद-प्रथम	15	148	0.96	सुरक्षित	
		योग		5322	34.65		

सुरक्षण आदेश संख्या /सी/कय-सुर0 दिनांक लखनऊ अक्टूबर ,2009 (पृष्ठ संख्या-3)

एस.बी.ई.सी. शुगर लि0, लोयन मलकपुर जनपद बागपत परिक्षेत्र मेरठ ।

खण्ड - 1 (क) पेराई सत्र 2009-10

क्रम संख्या	नाम गन्ना समिति	नाम कय केन्द्र	चीनी मिल से दूरी (किमी0)	गन्ना क्षेत्रफल (हेक्टे0)	गन्ना उत्पादन (ला0कु0)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
51	मलकपुर	बड़ावद-द्वितीय	15	149	0.97	सुरक्षित	
52		बाम	23	118	0.77	सुरक्षित	
53		ढोढरा	23	93	0.61	सुरक्षित	
54		औसिक्का	15	253	1.65	सुरक्षित	
55		जिवाना -द्वितीय	25	47	0.31	सुरक्षित	
56		जिवाना-तृतीय	19	48	0.31	सुरक्षित	
57		जिवाना गुलियाना-पंचम	19	47	0.31	सुरक्षित	
58		रांछाड़-पंचम	22	104	0.68	सुरक्षित	
59		रांछाड़-सप्तम	22	103	0.67	सुरक्षित	
60		दोजा	21	304	1.98	सुरक्षित	
61		शिकोरपुर-प्रथम	14	85	0.55	सुरक्षित	
62		शिकोरपुर-द्वितीय	15	90	0.59	सुरक्षित	
63		आरिफपुर खेड़ी	29	128	0.83	सुरक्षित	
64		दादरी	16	151	0.98	सुरक्षित	
65		मु0 पोईस	16	51	0.33	सुरक्षित	
66		जागोस	22	225	1.47	सुरक्षित	
67		अलावलपुर	12	59	0.38	सुरक्षित	
68		तेड़ा-प्रथम	22	122	0.79	सुरक्षित	
69		बिजरौल प्रथम	12	336	2.19	सुरक्षित	
70		बामनौली- द्वितीय	18	135	0.88	सुरक्षित	
71		बिजवाड़ा-द्वितीय	18	79	0.51	सुरक्षित	

72		सिरसली प्रथम	17	106	0.69	सुरक्षित	
73		हिलवाड़ी-प्रथम	13	226	1.47	सुरक्षित	
		योग		3059	19.92		
		योग सुरक्षित क्षेत्र		20765	135.210143		

सुरक्षण आदेश संख्या /सी/कय-सुर0 दिनांक लखनऊ अक्टूबर ,2009 (पृष्ठ संख्या-4)

एस.बी.ई.सी. शुगर लि0, लोयन मलकपुर जनपद बागपत परिक्षेत्र मेरठ ।

खण्ड - 1 (ख) पेराई सत्र 2009-10

क्रम संख्या	नाम गन्ना समिति	नाम कय केन्द्र	चीनी मिल से दूरी (किमी0)	गन्ना क्षेत्रफल (हेक्टे0)	गन्ना उत्पादन (ला0कु0)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रमाला	कण्डेरा-द्वितीय	14	147	0.96	अभ्यर्पित	रमाला चीनी मिल से
2		कण्डेरा-तृतीय	14	150	0.98	अभ्यर्पित	रमाला चीनी मिल से
3		बोढा-द्वितीय	16	110	0.72	अभ्यर्पित	रमाला चीनी मिल से
4		डुन्डूखेड़ा	25	307	2.00	अभ्यर्पित	रमाला चीनी मिल से
5		बिजवाड़ा-पंचम	26	78	0.51	अभ्यर्पित	किनौनी चीनी मिल से
6		धनौरा सिल्वर नगर-चतुर्थ	18	120	0.78	अभ्यर्पित	किनौनी चीनी मिल से
		योग अभ्यर्पित		912	5.95		
		महा योग (सुरक्षित+अभ्यर्पित)		21677	141.160143		

सुरक्षण आदेश संख्या /सी/कय-सुर0 दिनांक लखनऊ अक्टूबर ,2009 (पृष्ठ संख्या-4)

एस.बी.ई.सी. शुगर लि0, लोयन मलकपुर जनपद बागपत परिक्षेत्र मेरठ ।

खण्ड - 2 पेराई सत्र 2009-10

क्रम संख्या	नाम गन्ना समिति	नाम कय केन्द्र	चीनी मिल से दूरी (किमी0)	गन्ना क्षेत्रफल (हेक्टे0)	गन्ना उत्पादन (ला0कु0)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

1	मलकपुर	बामनौली-चतुर्थ	57	135	0७88	अभ्यर्पित	दौराला मिल को
2	मलकपुर	रन्छाड-द्वितीय	40	104	0७68	अभ्यर्पित	दौराला मिल को
3	मलकपुर	रन्छाड- षष्ठम	40	106	0७69	अभ्यर्पित	दौराला मिल को
4	मलकपुर	रन्छाड-प्रथम	40	104	0७68	अभ्यर्पित	दौराला मिल को
5	मलकपुर	रन्छाड-तृतीय	40	106	0७69	अभ्यर्पित	दौराला मिल को
6	मलकपुर	बिजवाडा-प्रथम	45	77	0७5	अभ्यर्पित	दौराला मिल को
7	मलकपुर	धनौरा सिल्वर नगर प्रथम	46	133	0७87	अभ्यर्पित	दौराला मिल को
8	मलकपुर	धनौरा सिल्वरनगर-द्वितीय	41	130	0७85	अभ्यर्पित	दौराला मिल को
9	मलकपुर	अंगदपुर जोहड़ी-द्वितीय	25	172	1७12	अभ्यर्पित	किनौनी मिल को
10	मलकपुर	बिजरौल-द्वितीय	29	172	1७12	अभ्यर्पित	किनौनी मिल को
11	मलकपुर	बामनौली- षष्ठम	36	135	0७88	अभ्यर्पित	किनौनी चीनी को
12	मलकपुर	सिरसली-द्वितीय	32	106	0७69	अभ्यर्पित	दौराला मिल को
13	मलकपुर	जिवाना गुलियानप्रथम / माखर	33	166	1७08	अभ्यर्पित	दौराला मिल को
14	मलकपुर	मुकन्दपुर द्वितीय	45	186	1७21	अभ्यर्पित	दौराला मिल को
		योग		<b>1832</b>	<b>11७94</b>		